पत्रांक–03/ऊ० (यो०)14/15 .....

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०),
ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक : .....

विषय :– राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित ''अटल ग्राम ज्योति योजना'' के closure उपरांत लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम् से संशोधित बजट उपबंधित राशि रु० 12.07 करोड़ (रू० बारह करोड़ सात लाख मात्र) अनुदान स्वरूप आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–120, दिनांक–05/10/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित ''अटल ग्राम ज्योति योजना'' के closure उपरांत लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम् से संशोधित बजट उपबंधित राशि रु० 12.07 करोड़ (रू० बारह करोड़ सात लाख मात्र) अनुदान स्वरूप आवंटन दी जाती है।

2. राशि निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी :–

बजटशीर्ष	राशि
मुख्य शीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–06–ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष–01–अटल ग्रामीण ज्योति योजना, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) विपत्र कोड 10S28010605201000679	रु० 12,07,00,000 (रू० बारह करोड़ सात लाख मात्र)

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरंडा, राँची से किया जाएगा तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा निम्न शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा :–

i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ऊर्जा विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे।

iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र तथा प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में निर्दिष्ट नियमों, शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Dir.(D&P)
Dir.(Fin.)
Srmgr(F&A) RB 18/x/2023
GM CIA
GM (RP)
GM (P&FM)
Cashier 19/x
प्रबंध निदेशक (कोषांग) झा०नं० 429 दि० 13/X/23 झा०बि०वि०निगम लिमिटेड
Dairy No. 3293 Director (D & P) Date 13/X/23
GM (P&FM) D. No. 2757/18/10/23

v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो। साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

5. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा पी०एल० खाता से राशि की नियमानुसार निकासी सचिवालय कोषागार, डोरंडा, राँची से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं० 759/वि०, दि० 20.03.15 द्वारा सहायता अनुदान मद की राशि की निकासी कोषागार से करने हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल किया गया है।

7. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि "अन्य मद में व्यय की गयी राशि रु० 4.37 करोड़ का Reconciliation शीघ्र कर लिया जाएगा।"

विश्वासभाजन,

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

गोपनीय
मुहरबंद

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)14/15 ..... दिनांक :.....

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)14/15 ....45..... दिनांक : 09/10/2023

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची/माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री के वरीय आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

Dir (D&P)
Dir (Finance)
Dir. (C & EA)

G.M.C (PL & F.M.)

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

पत्रांक–03/ऊ० (यो०)33/16 .....

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

09/05/2023

Managing Director
Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited

JHARKHAND BIJLI VITRAN NIGAM LTD
D.No. 353
Dated 05 MAY 2023

Sr. mgr (F&A) JSBAY
09/05/2023

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

दि०: .....

विषय : झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु उपबंधित राशि रु० 550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़) झा०बि०वि०नि०लि० को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.03.2017 में मद सं० 22 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–248, दि० 23.03.2017 द्वारा झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी कार्य हेतु योजना प्राक्कलित राशि कुल रु० 5127.56 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (आगामी तीन वर्षों 2017–18 से 2019–20) संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.03.2018 में मद सं० 01 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के संदर्भ में पुर्नपरिभाषित करने तथा स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रु० 5127.56 करोड़ यथावत् रखते हुए इस संदर्भ में पुनः समर्पित पुनरीक्षित DPR की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में विमुक्त कुल राशि रु० 875.36 करोड़ को उक्त पुनरीक्षित एवं पुर्नपरिभाषित योजना के अंतर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

"सौभाग्य" योजना के लागू होने के कारण पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के आयामों में परिवर्तन किया गया है अर्थात् उसे पुनर्परिभाषित करते हुए नये आयामों का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Work Description	Amount (in Cr)
1	Forest, Rail and other Statutory Clearance Coming in the schemes of India and the state government	25
2	Construction of new 33/11 KV power substation, 33 & 11 KV line and other remaining works & construction/renovation of electric structure for agricultural work.	2084.93
3.(i)	To install meter to un metered consumer for reduction of AT&C losses.	579.61
(ii)	Feeder and DTR metering for energy audit.	
(iii)	To give new agricultural connection with electricity feeder pillar.	
4(i)	To work underground cable and other reinforcement for 24x7 power supply in urban/suburban areas including tourist and pilgrim sites.	1699.86
(ii)	Execution for ease of doing business is required to strengthen the power infra structure in the industrial sector, as well as in the proposed industrial areas, it is also necessary to develop the electricity infra structure so that 24x7 electricity can be supplied in industrial areas.	
5(i)	Implementation of SCADA and other IT related work for automation of distribution infrastructure/ sub-station.	615.6
(ii)	Installation of smart meters to reduce the AT & C loss and reduce the problem of the bill.	
6	Construction and installation of necessary equipment in the new TRW/Store/ M.R.T, along with up gradation of existing TRW/Store/ M.R.T	34.56
7	PMA and other consultancy work to complete the above mentioned tasks according within time.	88
	Total	5127.56

प्रबंध निदेशक (कोषांग)
झा०बि०वि०निगम लिमिटेड
पत्रांक 1814 दि० 03/5/23

856/OD
03.05.2023

1300 (GM/F&A)
09/05/2023

Mgr (F&A) JSBAY
10.05.2023

Cashier (PL-A/c)
Himal
10/05/23

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.11.2020 में मद सं० 17 में लिये गये निर्णय एवं विभागीय संकल्प दिनांक 11.11.2020 के आलोक में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए पूर्ण करने हेतु दिसम्बर, 2021 तक योजना की अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर सशर्त स्वीकृति प्रदान की

4. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10.02.2022 में मद सं० 51 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय 275, दि॰ 17.02.2022 द्वारा झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजनान्तर्गत संशोधित पुनर्विनियोजित स्वीकृति एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना के शेष राशि रु० 2187.41 करोड़ वर्तमान 2021–22 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध कराने के साथ–साथ योजना के शेष बचे हुए पूर्ण करने हेतु मार्च, 2023 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी मार्च 2023 तक इस योजना का अवधि विस्तार ऐसे कार्यों के लिए सीमित होगा, जिनकी निविदा हो चुकी है कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा ऐसे कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् योजना को मार्च 2023 तक कर दिया जाएगा।

योजनान्तर्गत संशोधित पुनर्विनियोजित आयामों की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Work Description	Sanction Cost (In crs.)	Awarded Cost (In Crs.)	Revised Proposed Cost (In Crs.)
1.	Forest, Rail and other Statutory Clearance Coming in the schemes of India and the state government	25	-	10
2	Construction of new 33/11 KV power substation, 33 & 11 KV line and other remaining works & construction/renovation of electric structure for agricultural work.	2084.93	2084.3	1922.16
3.(i)	To install meter to un metered consumer for reduction of AT&C losses.	579.61	437.59	447.98
(ii)	Feeder and DTR metering for energy audit.			
(iii)	To give new agricultural connection with electricity feeder pillar.			
4(i)	To work underground cable and other reinforcement for 24x7 power supply in urban/suburban areas including tourist and pilgrim sites.	1699.86	1300.89	1229.41
(ii)	Execution for ease of doing business is required to strengthen the power infra structure in the industrial sector, as well as in the proposed industrial areas, it is also necessary to develop the electricity infra structure so that 24x7 electricity can be supplied in industrial areas.			
5(i)	Implementation of SCADA and other IT related work for automation of distribution infrastructure/ sub-station.	615.6	-	185
(ii)	Installation of smart meters to reduce the AT & C loss and reduce the problem of the bill.			
6	Construction and installation of necessary equipment in the new TRW/Store/ M.R.T, along with up gradation of existing TRW/Store/ M.R.T	34.56	-	-
7	PMA and other consultancy work to complete the above mentioned tasks according within time.	88	39.99	68.22
	Total	5127.56	3862.77	3862.77

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 से अबतक विमुक्त की राशि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत्यादेश सं./तिथि	आवंटनादेश सं./तिथि	विमुक्त की गयी राशि (करोड़ में)
1	2017–18	17/19.04.17	11/26.04.17	875.36
2	2018–19	229/21.02.19	51/25.02.19	25.00
3	2020–21	332/11.11.20	20/11.11.20	250.00
4		404/22.03.21	40/22.03.21	150.00
5	2021–22	40/13.07.21	12/14.07.21	375.00
6		169/18.02.22	66/18.02.22	106.064
7		206/22.03.22	75/23.03.22	404.40
8	2022–23	19/11.05.22	09/11.05.22	695.00
			कुल	2880.824

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० 301, दि० 11.03.15 की कंडिका सं०–9.4 के आलोक में यह एक चालू योजना है।

7. प्रबंध निदेशक, झा०बि०वि०नि०लि० के पत्रांक 294, दि० 13.04.23 द्वारा "झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट उपबंधित राशि रु० 550.00 करोड़ विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पूर्ण किये गये योजनाओं के Closure प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। निगम मुख्यालय में विभिन्न एजेंसियों का लगभग राशि रू0 19.47 करोड़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न एजेंसियों का लगभग राशि 142.62 करोड़ का विपत्र भुगतान किया जाना है। योजनाओं के Closure प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत एजेंसियों को भुगतान हेतु राशि का उपलब्धता जरूरी है।

निदेशक (वित्त), झा०बि०वि०नि०लि० के पत्रांक 08, दि० 18.04.23 द्वारा कुल विमुक्त राशि रु० 2880.824 करोड़ के विरूद्ध रु० 2738.08 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया गया है।

8. उपर्युक्त के आलोक में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु उपबंधित राशि रु० 550.00 करोड़ (रु० पाँच अरब पचास करोड़ मात्र) झा०बि०वि०नि०लि० को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राशि निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी :–

क्र०	बजटशीर्ष	राशि
1	मुख्यशीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्यशीर्ष–01–हाइडल उत्पादन, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–10–ग्रामीण विद्युतीकरण, विस्तृतशीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–10S28010178910000679	रु० 66,00,00,000 (रु० छियासठ करोड़)
2	मुख्यशीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्यशीर्ष–01–हाइडल उत्पादन, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–10–ग्रामीण विद्युतीकरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–10S28010179610000679	रु० 1,43,00,00,000 (रु० एक अरब तैंतालीस करोड़)
3	मुख्यशीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्यशीर्ष–01–हाइडल उत्पादन, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष–10–ग्रामीण विद्युतीकरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–10S28010105210000679	रु० 3,41,00,00,000 (रु० तीन अरब इकतालीस करोड़)
	कुल	रु० 5,50,00,00,000 (रु० पाँच अरब पचास करोड़)

9. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा निम्न शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा :–

i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे।

iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र तथा विभागीय संकल्प सं० 2426, दि० 11.11.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो। साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

10. राशि की निकासी अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रा
जायेगी एवं वित्तीय प्रबन्धन के तहत् राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के पी०एल० खाता
जायेगी।
11. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के द्वारा राशि की निकासी पी०एल० खाता के माध्यम से की जा
उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन न
जायगा एवं एतद् विषयक सभी सम्बन्धित परिपत्रों/नियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जायगा।
12. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा विभागीय संकल्प सं० 275, दि० 17.02.2022 में निहित शर्तों
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं० 759/वि०, दि० 20.03.15 द्वारा सहायता अनुदान मद की राशि की निकासी
से करने हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल किया गया है।
14. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के अपर मुख्य सचिव

गोपनीय
मुहरबंद

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)33/16 ..... दिनांक :.....

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवा
प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)33/16 ..... दिनांक :.....

प्रतिलिपि – आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हे
प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)33/16 .....20..... दिनांक :.....02/05/2023.

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची/माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री क
आप्त सचिव/अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान
आप्त सचिव/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/5/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव